



2026:AHC:32074

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2874, वर्ष 2026

गुड़िया देवी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : गुंजन शर्मा, नमित कुमार शर्मा

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, संदीप कुमार

द्विवेदी, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना गया।
2. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2-अपर आयुक्त (न्यायिक), द्वितीय गोरखपुर, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 तथा प्रतिवादी संख्या 3-उप जिलाधिकारी, गोला, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि चुनौती दिए गए आदेश के विरुद्ध याची के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के अनुसार राजस्व परिषद के समक्ष जाने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, अतः वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।
4. इसी के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका याची को उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज की जाती है।
5. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी फोटो-कॉपी रिकॉर्ड पर रखने के पश्चात, वापस कर दे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठ

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"